न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0क्र0 : निगरानी............../15 रायसेन

(1) **रामलखन शर्मा** पुत्र स्व0श्री यादराम शर्मा

(2) **सीमाराम** पुत्र स्व0श्री यादराम शर्मा

निवासी–गौहरगंज, तह0 गौहरगंज,

जिला–रायसेन (म0प्र0)

(3) **श्रीमति आशा शर्मा** पत्नि स्व0श्री राधारमण शर्मा

(4) **आभास शर्मा** पुत्र स्व0श्री राधारमण शर्मा

निवासीगण–म0नं0–51, लक्ष्मी परिसर,

गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)–**निगरानीकर्तागण**

विरूद्व

(1) **श्रीमति शांतिदेवी** पुत्री स्व0श्री यादराम शर्मा

पत्नि श्री संतोष मिश्रा,

निवासी–होमगार्ड ऑफिस के पीछे, छतरपुर,

तह0 व जिला–छतरपुर (म0प्र0)

(2) **श्रीमति सुशीला पाठक** पुत्री स्व0श्री यादराम शर्मा

पत्नि श्री मोतीलाल पाठक,

निवासी–पुरानी गाड़ीखाना, छतरपुर,

तह0 व जिला–छतरपुर (म0प्र0)

(3) **श्रीमति नेहा शर्मा** पुत्री स्व0श्री राधारमण शर्मा

पत्नि श्री सर्वेश शर्मा,

निवासी–आज्ञाराम कॉलोनी, विदिशा,

तह0 व जिला–विदिशा (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा प्र0क्र0–24/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनाँक 28.11.2015 जिसके द्वारा उन्होंने प्रत्यर्थी क्र0–1 व 2 का आवेदन अंतर्गत धारा–5 समयावधि विधान अधिनियम का स्वीकार किया से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क्र0–1 व 2 द्वारा नामांतरण पंजी क्र0–20 प्रमाणीकरण (आदेश) दिनांक

निरंतर...2...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 81-पीबीआर/2016

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री मेहरबारनसिंह उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	